

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, अमरोहा।

पत्रांक 2047 / 14-1 दिनांक, अमरोहा, जनवरी 21 / 2022

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक

मुरादाबाद वृत्त मुरादाबाद।

Online Proposal No. FP/UP/Road/144793/2021

विषय :-

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.680 हे० आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ़ में प्रभावित 1.0749 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 23.552 हे० आरक्षित वनभूमि तथा 6.1746 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे० आरक्षित वनभूमि तथा 6.4216 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड में प्रभावित 2.0342 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूँ में प्रभावित 4.9257 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहांपुर में प्रभावित 3.907 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 हे० आरक्षित वनभूमि तथा 2.2322 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 136 वृक्षों के पातन अर्थात् परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे० आरक्षित वनभूमि तथा 30.8224 हे० संरक्षित वनभूमि कुल 121.4716 हे० वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 167166 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

संदर्भ :-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एककृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र संख्या 8बी/यूपी०/०६/२९५/२०२१/एफ०सी०/६४३ दिनांक 17.01.2022 तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ का पत्र संख्या 2142/11-सी- दिनांक 18.01.2022

महोदय

उपरोक्त विषयक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एककृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र संख्या 8बी/यूपी०/०६/२९५/२०२१/एफ०सी०/६४३ दिनांक 17.01.2022 तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या 2142/11-सी- दिनांक 18.01.2022 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.680 हे० आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ़ में प्रभावित 1.0749 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 23.552 हे० आरक्षित वनभूमि तथा 6.1746 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे० आरक्षित वनभूमि तथा 6.4216 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड में प्रभावित 2.0342 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूँ में प्रभावित 4.9257 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहांपुर में प्रभावित 3.907 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 हे० आरक्षित वनभूमि तथा 2.2322 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 136 वृक्षों के पातन अर्थात् परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे० आरक्षित वनभूमि तथा 30.8224 हे० संरक्षित वनभूमि कुल 121.4716 हे० वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 167166 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बंध में मांगी गई बिन्दुवार आख्या/रिपोर्ट निम्न प्रकार आपकी सेवा में प्रेषित है :-

S. No.	Observations	Compliance
1-	As Per Part II area of PF is coming as 30.6453 ha while as per details provided in the proposal it is 30.8224	उक्त बिन्दु पर इस प्रभाग की ओर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
2-	Tree felling in Amroha and Pratapgarh district is mismatching with details of Part II uploaded and the details provided in proposal.	प्रभाग की ओर से ऑन लाईन पार्ट- II में 3629 वृक्षों की सूची अपलोड की गयी है। उक्त वृक्षों की प्रजातिवार सूची पुनः संलग्न की जा रही है। जिसमें कोई भिन्नता नहीं है।
3-	An abstract of tree felling in all the districts needs to be provided.	उक्त परियोजना में बाधक 3629 वृक्षों का विदोहन किया जाना प्रस्तावित है। जिसकी सूची संलग्न है।
4-	No objection certificate of concerned department (Irrigation and Railways) needs to be submitted.	उक्त बिन्दु पर सूचना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी जानी है।
5-	Revised NPV calculation as per order dated 06.01.2022 needs to be submitted.	एन०पी०वी की गणना दि० 06.01.2022 के अनुसार कर पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है। एन०पी०वी० गणना पुनः संलग्न की जा रही है।
6-	Plantation scheme for roadside plantation needs to be submitted.	उक्त बिन्दु की सूचना इस प्रभाग से अपेक्षित नहीं है।

7-	As per part-ii of the proposal under Social Forestry Division Allahabad and Social Forestry Division Bulandshahr. It is mentioned at column no. 10 "Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project : NIL"	उक्त बिन्दु पर कार्यवाही इस प्रभाग से अपेक्षित नहीं है।
8-	C A scheme and site suitability certificate for CA in DDFL has to be provided.	उक्त बिन्दु पर कार्यवाही इस प्रभाग से अपेक्षित नहीं है।
9-	Why R F cannot be avoided, proper justification needs to be provided.	उक्त बिन्दु पर कार्यवाही इस प्रभाग से अपेक्षित नहीं है।
10-	As per the kml file the proposed area for diversion 50.29 ha,, but as per the proposal diversion area is 121.4716 ha,, mismatching of the forest area, needs clarification/rectification.	उक्त बिन्दु पर कार्यवाही इस प्रभाग से अपेक्षित नहीं है।
11-	kml file of the complete route proposed for diversion (Forest area as well as Non Forest area) needs to be submitted.	उक्त बिन्दु पर कार्यवाही इस प्रभाग से अपेक्षित नहीं है।
12-	kml file of alternate routes needs to be submitted.	उक्त बिन्दु पर कार्यवाही इस प्रभाग से अपेक्षित नहीं है।
13-	The NET Suitable area for plantation as per GIS-DSS analysis is 94.78 ha,, which is less than the actual required C A land area.	उक्त बिन्दु पर कार्यवाही इस प्रभाग से अपेक्षित नहीं है।
14-	As per the Geo-reference map of the proposed CA land, GPS "point id" is not mentioned in the Haripur village and Purthiyawan village. This needs rectification.	उक्त बिन्दु पर कार्यवाही इस प्रभाग से अपेक्षित नहीं है।
15-	As per the kml file, some CA land polygons have been found in scattered from and also not contiguous to the forest area. There are 44 patches proposed for CA which are of area less than 1 ha.. patches need to be in consolidated from.	उक्त बिन्दु पर कार्यवाही इस प्रभाग से अपेक्षित नहीं है।
16-	Geo-referenced cadastral map of the proposed CA land needs to be submitted.	उक्त बिन्दु पर कार्यवाही इस प्रभाग से अपेक्षित नहीं है।
17-	The proposed CA land patch of Unnao district (Village-Katholi) is partially overlapped with the area proposed for diversion, this needs rectification.	उक्त बिन्दु पर कार्यवाही इस प्रभाग से अपेक्षित नहीं है।
18-	Component wise breakup of land required for construction of bridges, underpass, public utility centre , toll plaza, Covers over Rivers/Canals/Nalas, pulia, Flyover & Interchanges etc. Needs to be provided.	उक्त बिन्दु पर कार्यवाही इस प्रभाग से अपेक्षित नहीं है।

उपरोक्तानुसार अनुपालन रिपोर्ट मय संलग्न अभिलेखों सहित आपकी सेवा में इस आशय से प्रेषित की जा रही है, कि कृपया अपनी संस्तुति सहित रिपोर्ट मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ को प्रेषित करने की कृपा करें।
संलग्नक :- उपरोक्तानुसार ।

संख्या— / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र०,लखनऊ की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

भवदीय
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, अमरोहा

प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, अमरोहा।